भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 268
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में रिक्तियां

268 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :
डा. जॉन ब्रिटास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नामों को अधिसूचित करने में देरी पर अपनी राय व्यक्त की थी ;
(ख) आज की तारीख में सरकार के पास कितने कॉलेजियम प्रस्ताव लंबित हैं और इनके विलंब के क्या कारण हैं ;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने कॉलेजियम प्रस्तावों को वापस किया गया है, इसके क्या कारण हैं ;
(घ) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम तथा सरकार के पास लंबित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ङ) आज की तारीख में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने पद रिक्त हैं ; और
(च) क्या सरकार उपयुक्त संशोधनों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनः स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है, जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की जाती है । तारीख 05.12.2022 तक, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए 01 प्रस्ताव और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 08 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय द्वारा सिफारिश किए गए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के 11 प्रस्ताव, मुख्य न्यायमूर्ति के स्थानान्तरण का 01 प्रस्ताव और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का 01 प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है । उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायालय मामले की सुनवाई करते हुए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए न्यायाधीशों के नामों को अधिसूचित करने में देरी पर अपनी राय व्यक्त की है ।

अंतिम पांच वर्षों के दौरान, कुल 256 प्रस्ताव सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सलाह पर संबंधित उच्च न्यायालयों को प्रस्ताव भेजे गए ।

तारीख 05.12.2022 तक, उच्च न्यायालय कालेजियमों द्वारा सिफारिश किए गए 146 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कलेजियम के पास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है । उच्च न्यायालय-वार विवरण **उपाबंध** पर है ।

(ङ) : तारीख 05.12.2022 तक, 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध, 07 रिक्तियों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के 27 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं । उच्च न्यायालयों में, 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध, 330 रिक्तियों को छोड़कर 778 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ।

(च) : जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****

उपाबंध

उच्च न्यायालयों द्वारा सिफारिश किए गए और भारत सरकार तथा एससीसी के पास लंबित 146 प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	प्रस्तावों की संख्या
1.	इलाहाबाद	30
2.	आंध्र प्रदेश	03
3.	बॉम्बे	16
4.	कलकत्ता	04
5.	छत्तीसगढ	04
6.	दिल्ली	01
7.	गुजरात	11
8.	गुवाहाटी	01
9.	कर्नाटक	11
10.	केरल	02
11.	मध्य प्रदेश	12
12.	मद्रास	18
13.	मणिपुर	02
14.	मेघालय	01
15.	ओडिशा	01
16.	पटना	02
17.	पंजाब और हरियाणा	01
18.	राजस्थान	18
19.	तेलंगाना	03
20.	उत्तराखंड	05
योग		**146**

****